बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012– 57 /पटना, दिनांक– 30/8/2016

एस0बी0डी0 में निहित Clauses of contract के Clause- 1 A के अनुसार चालू विपत्रों से 8% की दर से जमानत की राशि काटने का प्रावधान है। इस राशि को Wholly or Partly, Defect liability period के बाद से 28 दिनों अथवा अधिक अवधि तक के राज्य स्थित किसी बैंक से निर्गत मान्य बैंक गारंटी से रिप्लेस करने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्र.6/निविदा–150/08– 11172 (s) दिनांक 08.10.2009 से संकल्प निर्गत है, ताकि संवेदकों के कार्यशील पूँजी में बढ़ोत्तरी होगी एवं 10% राशि जमानत के रूप में इम्प्लायर के पास सुरक्षित भी रहेगी।

उपर्युक्त पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि कराये जा रहे कार्य के किस स्टेज पर Security Deposit को रिप्लेस किया जायेगा एवं इसके लिए सक्षम प्राधिकार कौन होंगे।

विगत वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ अथवा सिंचाई से संबंधित वृहद् एवं मध्यम योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा निस्तार के दौरान संवेदकों द्वारा वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप अग्रधन के रूप में बैंक गारंटी जमा की जाती है, जो कार्यावंटन के पश्चात Performance Security के रूप में कर्म्भट होकर इम्प्लायर के पास सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त संवेदकों द्वारा उद्धृत दर Serious unbalanced होने पर Additional performance guarantee भी जमा करनी पड़ती है, जो प्रायः बैंक गारंटी के रूप में ही होती है।

बैंक गारंटी, वस्तुतः, संवेदक के तरफ से इम्प्लायर को एक थर्ड पार्टी यानि बैंक द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र है जो संवेदक द्वारा एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार कार्य नहीं किये जाने पर राज्य सरकार एवं जनता के हितों की सुरक्षा हेतु इम्प्लायर के लिए Powerful financial tool साबित होता है। परन्तु विगत कई मामलों में प्राप्त अनुभवों से यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी रूपी financial tool को विषम परिस्थितियों में प्रयोग करने पर काफी कठिनाई एवं विलम्ब होता है तथा कभी–कभी तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ता है।

साथ ही पथ निर्माण विभाग के उक्त संकल्प का संदर्भ लेकर इंजीनियर इंचार्ज कार्य के प्रारंभिक चरण में ही चालू विपत्र से काटी गई जमानत की राशि को बैंक गारंटी से रिप्लेस कर देते हैं। इसका कुप्रभाव यह होता है कि आवश्यकता पड़ने पर संवेदक बैंक गारंटी की भैलिडिटी बढ़ाने में भी रूचि नहीं लेते हैं एवं इंजीनियर इंचार्ज पर बैंक गारंटी की भैलिडिटी बढ़वाने का एक अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में जमानत की राशि को Wholly or Partly बैंक गारंटी से रिप्लेस करने हेतु संवेदक के अनुरोध के कम में पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्र.6/निविदा–150/08– 11172 (s) दिनांक 08.10.2009 से निर्गत संकल्प के प्रावधानों के प्रयोग हेतु विभागीय स्तर पर निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाते हैः–

(1) उक्त अनुरोध के आलोक में संबंधित इंजीनियर इंचार्ज संबंधित मुख्य अभियंता को यह प्रमाणित करते हुए कि कार्य की प्रगति 80% से अधिक है, मुख्य अभियंता से अनुमति प्राप्त करेंगे।

(2) तदोपरान्त इंजीनियर इंचार्ज Defect liability period के बाद से 28 दिनों अथवा अधिक अवधि तक के राज्य स्थित किसी बैंक से निर्गत मान्य बैंक गारंटी के बदले चालू विपत्र से 8% की दर से काटी गई जमानत की राशि को Wholly or Partly रिप्लेस करेंगे।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

30.08.16
(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–57 /पटना, दिनांक– 30/6/16

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.06.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–57 /पटना, दिनांक– 30/6/16

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

30.06.16
(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)